न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।
सिविल प्रकीर्ण वाद सं०–124/2025
अमरनाथ आदि बनाम विनोद आदि

दिनांक 30–05–2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 9 क अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम वास्ते पाने छूट मियाद व विपक्षी को आपत्ति 9 ख पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 9 क

1– प्रार्थीगण अमरनाथ, श्रीमती कलावती, विनय कुमार, कृष्ण मोहन दयाल व बद्रीदयाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम वास्ते पाने छूट मियाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मूल वाद मे प्रतिवादी है। प्रार्थी अमरनाथ के द्वारा ही वाद पत्र की पैरवी की जाती थी। अन्य प्रतिवादीगण को मुकदमें व कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी ही रखते है। उक्त वाद जिसमे अवर न्यायालय द्वारा वाद की पत्रावली को संशोधन पर आदेश के लिए दिनांक 18.12.2024 मे पहली बार आदेश हेतु सुरक्षित किया गया किंतु किसी कारण वाद पत्र में आदेश पारित नहीं किया जा सका जिसके वाद अवर न्यायालय के द्वारा 2.1.25, 16.1.25, 31.1.25, 18.2.25 में पत्रावली आदेश हेतु ही सुरक्षित रही। प्रार्थी न्यायालय पर हाजिर होकर हस्ताक्षर बनाता और न्यायालय द्वारा पत्रावली आदेश मे सुरक्षित रख लिया जाता किन्तु आदेश पारित नहीं हो सका। इसी बीच न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.2025 को संशोधन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए अग्रिम तारीख पेशी 22.4.25 नियत कर दिया जब प्रार्थी दिनांक 22.4.2025 को अवर न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ तो पत्रावली पर संशोधन आदेश के पारित होने की जानकारी हुई। इसी बीच प्रार्थी के पुत्र के भाई छैलबिहारी की तबीयत खराब हो गई जिससे प्रार्थी को अचानक दिल्ली जाना पड़ा और इलाज में काफी समय लग गया। जब प्रार्थी वापस अपने घर आया और अपने अधिवक्ता से बात किया तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने जानकारी दिया कि तुम्हारे मुकदमें मे निगरानी करनी पड़ेगी और जब तक प्रार्थी रूपया का इंतजाम करके वापस आता तब तक जून अवकाश हो गया जिसमे निगरानी की कार्यवाही सम्भव नहीं थी। अब जब न्यायालय खुला तो प्रार्थीगण बिना विलम्ब किये ही निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। निगरानी प्रार्थना पत्र 3 माह 5 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने निगरानी प्रस्तुत करने मे जानबूझकर गलती नहीं किया है बल्कि परिस्थितवश हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है। उपरोक्त कथनों के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 9 क को स्वीकार करते हुये मियाद अधिनियम की छूट प्रदान किये जाने हेतु याचना की गयी है।

2– विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति 20 ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता को मुकदमें के बावत नियमित जानकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र जानबूझकर विलंब कारित करने के उद्देश्य से मिथ्या, बनावटी तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र में मियाद का कब से कब तक चाहिये का स्पष्ट उल्लेख न होने पोषणीय नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की भी याचना की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 131 में बी०एन०एस०एस० की धारा 438 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने के लिए समयावधि 90 दिन आक्षेपित आदेश के पारित होने के दिनांक से दी गयी है। इसमें हुए किसी भी प्रकार के विलम्ब में क्षमा हेतु उक्त अधिनियम की धारा 5 में प्रावधानित किया गया है।

यदि निगरानीकर्ता सन्तोषपूर्ण तरीके से कारित विलम्ब के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे देता है तो आक्षेपित आदेश के संज्ञान में आने के दिनांक से मियाद की सीमा गिनी जा सकती है।

4– विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में निर्णयज विधि **येनवाला कृष्णन बनाम एम कृष्णा मूर्ति जे०टी० 1998 (6) (सु०को०) पेज 242** का सम्यक अवलोकन किया गया। विलम्ब माफ करने हेतु बिलम्ब का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होता है न कि बिलम्ब की अवधि। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य मौलिक न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का बहुत ही लचीले दृष्टिकोण से निर्णयन किया जाना चाहिए। अतः विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाना चाहिए।

5– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कलेक्टर ए०एल० अनन्तनाग बनाम श्रीमती कटीजी ए० आई०आर० 1987 सु०को० पेज 1353** में यह अवधारित किया गया है कि मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर।

6– उपरोक्त तथ्यों व निर्णयज विधि के आलोक में न्यायालय का सुविचारित मत है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की परिस्थिति में आवेदक/अपीलार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर नहीं हो पायेगा।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली भिन्न–भिन्न तारीखों में आदेश हेतु सुरक्षित रखी गयी किंतु आदेश पारित न हो सका। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.2025 को संशोधन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया। इसी बीच प्रार्थी के पुत्र के भाई छैलबिहारी की तबीयत खराब होने के कारण उसे अचानक दिल्ली जाना पड़ा और इलाज में काफी समय लग गया। प्रार्थी वापस आकर अधिवक्ता से मिलने पर अधिवक्ता ने उसे मुकदमें में निगरानी करने के संबंध में जानकारी दिया। प्रार्थी रूपया का इंतजाम करके वापस आया तब तक जून अवकाश हो गया जिससे निगरानी की कार्यवाही सम्भव नहीं थी। यद्यपि निगरानी दाखिल करने में लगभग 03 माह 06 दिन का विलम्ब है परंतु प्रार्थना पत्र में दिए गए कारणों से विलंब को माफ किए जाने के जो आधार दर्शाये गए हैं वह पर्याप्त हैं और पक्षकारों के मध्य सम्यक न्याय किये जाने हेतु विलम्ब माफ किया जाना आवश्यक है। तदनुसार पक्षकारों को मौलिक न्याय प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8– सिविल प्रकीर्ण वाद सं०– 124/2025 में प्रार्थीगण अमरनाथ आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9क अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार इस सिविल निगरानी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

9– प्रस्तावित सिविल निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु सम्पूर्ण पत्रावली विद्वान सत्र न्यायालय, गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

10– उभयपक्ष माननीय सत्र न्यायालय, गोण्डा के समक्ष दिनांक 02.07.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक 30.05.2026

(फूलचन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।
ID No. UP2712